UPKN010000522005

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम), कानपुर नगर।

पीठासीन अधिकारीः शुचि श्रीवास्तव ....(ID–UP6109)

सत्र परीक्षण संख्या–1079/2008 सरकार बनाम चन्दन आदि अपराध संख्या–96/2005 धारा–323, 504, 308 भा0 दं0 सं0 थाना– पनकी , कानपुर नगर।	
वादी मुकदमा	जगरूप सिंह
विशेष लोक अभियोजक	श्री प्रदीप पचौरी एवं आशीष सिंह भदौरिया
अभियुक्तगण	**1.** दिलीप पुत्र जगतनारायण **2.** जगतनारायण पुत्र गजोधर (दौरान विचारण मृत्यु) 3. राजकुमारी पत्नी जगतनारायण (दौरान विचारण मृत्यु) **निवासीगण**–मकान नम्बर–233 ई ब्लाक, पनकी, कानपुर नगर।

<u>अपराध का विवरणः–</u>

अपराध की तिथि	22.05.2005
आरोप पत्र पंजीकृत किये जाने की तिथि	02.04.2005
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	15.06.2009
साक्ष्य आरंभ किये जाने की तिथि	14.07.2009
अभियोग को निर्णय हेतु आरक्षित करने की तिथि	30.05.2026

निर्णय की तिथि	11.06.2019

<u>अभियुक्तगण का विवरण</u>

अभियुक्त का नाम	अभियुक्तगण का पेशा	किस अपराध के अंतर्गत आरोपित किया गया	दोषमुक्त किया गया या दोषसिद्ध किया गया
दिलीप	मजदूरी	धारा–323, 504, 308 भा0 दं0 सं0	दोषमुक्त

<u>निर्णयः–</u>

1. वर्तमान दाण्डिक/सत्र परीक्षण थाना पनकी जिला कानपुर नगर की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण चन्दन, दिलीप, जगतनरायण व श्री राजकुमारी के विरुद्व अंतर्गत धारा–323, 504, 308 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। न्यायालय आदेश द्वारा अभियुक्त चन्दन की पत्रावली पृथक कर किशोर न्यायबोर्ड प्रेषित की गयी। अभियुक्त जगतनरायण व राजकुमारी की दौरान विचारण मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध की कार्यवाही उपशमित की गयी।

2. ***संक्षेप में*** अभियोजन कथानक इस प्रकार हैं कि, "दिनांक–22.05.2005 को उसका लड़का राहुल घर के बाहर दरवाजे पर खड़ा था। समय लगभग 8:30 बजे प्रातः दिलीप पुत्र जगनारायण उसके घर के सामने से निकला तथा राहुल को खड़ा देखकर अकारण ही गाली–गलौच करने लगा। जब राहुल ने इसका विरोध किया, थोड़ी देर बाद जगनारायण थाना के एक सिपाही राजेश कुमार सिंह के साथ वहाँ आया। वह थाने जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी जगनारायण की पत्नी राजकुमारी अपने हाथ में हांकी लिए हुए तथा दिलीप चाकू लिए हुए वहाँ आ गए। चंदन भी अपने हाथ में लोहे की रॉड लिए हुए उसके दरवाजे पर चढ़ आए और उसकी लड़के राहुल को गाली–गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। चंदन ने अपने लिए हाथ में लिए रॉड से राहुल के सिर पर वार किया जिससे उसका सिर फट गया राजकुमारी ने ये दिलीप ने अपने हाथ में हांकी लिए और चाकू से मारा–पीटा प्रार्थी के फिर बचाव करने को दौड़े तभी जगत सिंह ने उसके ऊपर डंडे से वार किया जो उसकी कलाई दाहिने हाथ में लगा दोबारा फिर वार किया जिससे वह हट गया और वह डंडा राजकुमारी के सिर पर लगा जिससे उसका सिर फट गया। सिपाही रजेश इन लोगों को डांटा फिर भी फिर उनकी एक भी बात नहीं सुनी इन लोगों की मार से उसका लड़का मौके पर बेहोश हो गया जिसको वादी ने राजाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया इसकी हालत चिंताजनक है।"

3. वादी के उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना पनकी कानपुर नगर में अभियुक्तगण चन्दन, दिलीप, जगतनरायण व श्री राजकुमारी के विरूद्व मुकदमा अपराध संख्या –96/2005 धारा–

323, 504, 308 भा0 द 0 सं0 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे का खुलासा नकल जी0 डी0 में किया गया।

4. दौरान विवेचना गवाहान के बयान धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता अंकित किये गये। घटनास्थल की नक्शा नजरी तैयार की गयी। विवेचक द्वारा विवेचना के उपरांत पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अभियुक्तगण चन्दन, दिलीप, जगतनरायण व श्री राजकुमारी के विरुद्व अंतर्गत धारा–323, 504, 308 भा0 दं0 सं0 के अंतर्गत आरोपपत्र प्रेषित किया गया।

5. दिनांक–15.06.2009 को मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अभियुक्तगण दिलीप कुमार वर्मा, चन्दन, जगतनरायण व राजकुमारी के विरुद्ध अंतर्गत धारा– 323, 504, 308 भा.दं.सं. के आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मॉग की गयी।

6. न्यायालय आदेश दिनांकित–29.11.2013 द्वारा अभियुक्त चन्दन की पत्रावली पृथक कर किशोर न्यायबोर्ड प्रेषित की गयी तथा दौरान विचारण दिनांक–19.05.2021 को अभियुक्ता राजकुमारी व दिनांक–21.08.2021 को अभियुक्त जगतनरायण की मृत्यु होने के आधार पर उनके विरुद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की गयी।

7. दौरान विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से निम्न साक्षीगण को परीक्षित कराया गया–

क्रम संख्या	**साक्षी का नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
पी0 डब्लू0-1	जगरूप सिंह	वादी
पी0 डब्लू0-2	राहुल भदौरिया	मजरुब वादी का पुत्र

8. दौरान विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्न प्रपत्रों को साबित किया गयाः–

क्रम संख्या-	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1.	प्रदर्श क-1	तहरीर
2.	प्रदर्श क-2	प्रथम सूचना रिपोर्ट
3.	प्रदर्श क-3	नकल रपट
4.	प्रदर्श क-4	मजरूब राहुल भदौरिया का मेडिकल प्रपत्र
5.	प्रदर्श क-5	नक्शानजरी
6.	प्रदर्श क-6	आरोप पत्र

9. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात न्यायालय द्वारा दिनांक–25.05.2026 को अभियुक्त के बयान धारा– 313 दंड प्रक्रिया संहिता अंकित किये गये। अभियुक्त ने अपने बयान में

कहा कि घटना गलत है, गलत बयान दिया है। रंजिश के कारण उसके विरोधियों ने फर्जी मुकदमा लिखाया है।

10. अभियुक्त को प्रतिरक्षा साक्ष्य का अवसर दिया गया अभियुक्त की ओर से प्रतिरक्षा साक्ष्य में कोई मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

11. **अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–1 जगरूप सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि,** "घटना दिनांक– 20.05.2005 की समय समय प्रातः लगभग साढ़े आठ बजे का था। यह घटना मेरे घर के सामने हुई थी। उसी समय दिलीप पुत्र जगत नारायण मेरे घर के सामने से निकला। घर के बाहर मेरा लड़का राहुल खड़ा था। उसे खड़ा देखकर दिलीप बिना किसी कारण के मेरे लड़के को गाली–गलौज करने लगा, जिसका मेरे लड़के ने विरोध किया। कुछ देर बाद जगत नारायण थाना के एक सिपाही राजेश कुमार के साथ वहाँ आए। उसी समय मैं भी थाना जाने के लिए अपने घर से निकल रहा था। राजकुमारी पत्नी एवं जगतनारायण अपने हाथ में हॉकी लिए हुए थे, जबकि दिलीप चाकू तथा चंदन अपने हाथ में लोहे की रॉड लिए हुए था। ये सभी लोग मेरे दरवाजे पर चढ़ आए और गाली–गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। चंदन ने राहुल के सिर पर राड से वार किया जिससे राहुल का सिर फट गया राजकुमारी हॉकी से वह दिलीप चाकू से मारपीट करने लगे मैं बीच बचाव करने के लिए दौड़ा तो जगन नारायण ने डंडे से मेरे ऊपर वार किया जो मेरे दाहिने हाथ की कलाई पर लगा पुनः जगन नारायण ने डंडे से वार किया मैं हट गया वह डंडा राजकुमारी के सिर पर लगा जिससे उसका सिर फट गया। सिपाही रजेश कुमार सिंह ने अभियुक्तगण को डांटा लेकिन उसके इन लोगों ने एक नहीं सुनी एवं अभियुक्तगण की मार से मेरा लड़का राहुल मौके पर ही बेहोश हो गया था जिससे हम लोगों ने राहुल को राजा राम हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहाँ उसकी हालत गंभीर थी। इसके बाद हम लोग थाना गए, जहाँ मैंने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर मैंने स्वयं अपने हाथ से लिखकर थाना पर दी थी, जो पत्रावली में संलग्न है तथा मेरे लेख एवं हस्ताक्षर में है। उक्त तहरीर पर **प्रदर्श क–1** अंकित किया गया है।"

12. **अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–2 राहुल भदौरिया(वादी का पुत्र) ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि,** "घटना दिनांक– 20.05.2005 की सुबह साढ़े आठ बजे की है। मैं अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसी समय दिलीप पुत्र जगत नारायण मेरे घर के सामने से निकला और मुझे माँ–बहन की गालियाँ देने लगा। मैंने उसका विरोध किया, तभी जगत नारायण एवं राजकुमारी हाथ में हाँकी लेकर, दिलीप चाकू लेकर तथा चंदन, जो दिलीप का भाई था, हाथ में लोहे की रॉड लेकर वहाँ आ गए। ये लोग मिलकर मुझे चाकू–राड हॉकी से मिलकर मारने लगे चंदन राड से दिलीप चाकू से तथा राजकुमारी व जगतनारायण हॉकी से मारने लगे

हॉकी से ये जगत नारायण ने हाथ पर राड मारा। लोगों के मारने से मैं बेहोश हो गया था चोटों की डॉक्टरी सामुदायिक केंद्र कल्याणपुर कानपुर में तथा सिर का सी.टी. स्कैन डाइग्नॉस्टिक सेंटर में हुआ था मैं उर्सला अस्पताल कानपुर में बाईस दिन तक भर्ती रहा और मेरी चोटों का इलाज होता रहा मुलजिमान मुझे दरवाज़े के पास ही मारा पीटा था और वहीं गालियां दी थी दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था और जो कुछ पूछा था मैंने बता दिया था मुलजिमान सिर पर भी मारे थे जिससे मैं घटना स्थल पर बेहोश हो गया था"

13. अभियुक्त द्वारा अभियोजन प्रपत्र प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क-2), नकल रपट (प्रदर्श क-3), मजरूब राहुल भदौरिया का मेडिकल प्रपत्र(प्रदर्श क-4), नक्शानजरी(प्रदर्श क-5, आरोपपत्र(प्रदर्श क-6) की मौलिकता को स्वीकार किया गया है।

14. मैने राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक 'फौजदारी' तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

निष्कर्ष

15. अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन ने अपनी ओर से प्रस्तुत मौखिक और प्रलेखीय साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है। अभियुक्त को दोषसिद्ध करके अधिक से अधिक सजा दी जाए।

16. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है। अभियोजन की ओर से पत्रावली पर जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गए है उससे अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित नहीं कर सका है। अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए।

17. न्यायालय को यह देखना है कि **क्या अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध अंतर्गत धारा– 308 323, 504 भा.दं.सं. को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?**

18. अभियुक्त का आरोप है कि दिनांक–22.05.2005 को समय 08:30 बजे प्रातः बस्थान मकान नम्बर–223 ई ब्लाक पनकी पेश दरवाजा वादी अंतर्गत थाना पनकी में अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के पुत्र राहुल के साथ गालीगलौज करते हुए मारपीट की गयी तथा वादी व उसके पुत्र पर इस आशय व ज्ञान से हॉकी, सरिया व चाकू से हमला किया जिससे यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो अभियुक्त हत्या के दोषी हो।

19. वादी ने तहरीर प्रदर्श क–1 में अंकित किया है कि दिनांक–22.05.2005 को उसका लड़का राहुल घर के बाहर दरवाजे पर खड़ा था। समय लगभग 8:30 बजे प्रातः दिलीप पुत्र

जगनारायण उसके घर के सामने से निकला तथा राहुल को खड़ा देखकर अकारण ही गाली–गलौच करने लगा। जब राहुल ने इसका विरोध किया, थोड़ी देर बाद जगनारायण थाना के एक सिपाही राजेश कुमार सिंह के साथ वहाँ आया। वह थाने जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी जगनारायण की पत्नी राजकुमारी अपने हाथ में हांकी लिए हुए तथा दिलीप चाकू लिए हुए वहाँ आ गए। चंदन भी अपने हाथ में लोहे की रॉड लिए हुए उसके दरवाजे पर चढ़ आए और उसकी लड़के राहुल को गाली–गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। चंदन ने अपने लिए हाथ में लिए रॉड से राहुल के सिर पर वार किया जिससे उसका सिर फट गया राजकुमारी ने ये दिलीप ने अपने हाथ में हांकी लिए और चाकू से मारा–पीटा प्रार्थी के फिर बचाव करने को दौड़े तभी जगत सिंह ने उसके ऊपर डंडे से वार किया जो उसकी कलाई दाहिने हाथ में लगा दोबारा फिर वार किया जिससे वह हट गया और वह डंडा राजकुमारी के सिर पर लगा जिससे उसका सिर फट गया। सिपाही रजेश इन लोगों को डांटा फिर भी फिर उनकी एक भी बात नहीं सुनी इन लोगों की मार से उसका लड़का मौके पर बेहोश हो गया जिसको वादी ने राजाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया इसकी हालत चिंताजनक है।

20. अभियोजन की ओर से उपरोक्त कथनों को साबित करने के लिए पी डब्लू–1 के रूप साक्षी वादी जगरूप सिंह को परीक्षित कराया गया है जिसने मुख्य परीक्षा में तहरीर के अभिकथनों का समर्थन किया है और यह बताया है कि दिनांक– 20.05.2005 की समय प्रातः लगभग साढ़े आठ बजे उसके घर के सामने से अभियुक्त दिलीप निकला और घर के बाहर खड़े वादी के पुत्र के साथ गालीगलौज करने लगा जिसका विरोध करने पर अभियुक्त दिलीप अपने माता पिता व भाई के साथ वादी व उसके पुत्र के साथ हॉकी, लाठी डंडा व सरिया से मारपीट की गयी।

21. उक्त साक्षी ने अपनी जिरह दिनांकित–16.05.2026 में कथन किया है कि घटना की तिथि मुझे इस समय याद नहीं है। घटना वाले दिन कौन–सा दिन था, यह भी उसे याद नहीं है। उस दिन वह सुबह लगभग वह बजे उठा था। जब वह उठकर दरवाजे पर आया, तब घर के बाहर झगड़ा हो रहा था। वहाँ कितने लोग थे, यह उसे याद नहीं है। उसने दिलीप व चंदन को नहीं देखा था। मोहल्ले वालों के कहने पर उसने दिलीप व चंदन का नाम लिखवा दिया था। उसके पुत्र राहुल को चोटें लगी थीं, परन्तु चोटें कैसे लगीं, यह उसे याद नहीं है। उसे भी चोटें आई थीं, किन्तु उसे यह याद नहीं है कि उसे चोटें कैसे आईं। उसके पुत्र राहुल तथा बधनियों को भी चोटें आई थीं। उन दोनों को मेडिकल लीगल हेतु कौन–सा व्यक्ति अस्पताल ले गया था, यह उसे याद नहीं है। एफआईआर दर्ज कराने हेतु वह उसी दिन थाने गया था, किन्तु थाने जाने का समय उसे याद नहीं है। पुलिस ने मेरा बयान कहाँ लिखा था, यह भी मुझे याद नहीं है। मैंने पूर्व में न्यायालय में जो

बयान दिया था, वह पुलिस के दबाव में दिया था। साक्षी ने अपनी जिरह दिनांक 18.05.2026 में कथन किया है कि उसका अभियुक्तगण के मध्य न्यायालय के बाहर कोई समझौता नहीं हुआ है, जिसके कारण वह आज अभियोजन कथनक का समर्थन नहीं कर रहा हो। गवाह को उसका धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान पढ़कर सुनाया गया, तो उसने कहा कि उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। यदि ऐसा लिखा हो, तो उसकी कोई वजह वह नहीं बता सकता। मुझे यह बात भली–भांति मालूम है कि न्यायालय में झूठी गवाही देने पर सजा का प्रावधान है। यह बात सही है कि उसके पुत्र राहुल भदौरिया के सिर पर चोट छत से ईंट गिरने के कारण लगी थी तथा रेलिंगों पर गिरने के कारण उसके शरीर के अन्य स्थानों पर चोटें आई थीं। वह उस समय अपने पुत्र की चोटों के कारण मानसिक रूप से परेशान था। तभी मोहल्ले के एक पड़ोसी ने सरकारी सहायता से इलाज दिलाने हेतु कहा था तथा मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसने आवेदन/प्रार्थना पत्र पर अपने हस्ताक्षर भी कर दिए थे। यह कहना गलत है कि दिनांक 25.05.2005 को समय प्रातः लगभग 8:30 बजे जगनारायण की पत्नी राजकुमारी, दिलीप व चंदन ने अपने साथ लाई हांकी, डंडा व रॉड से उस पर तथा उसके पुत्र राहुल बधौरिया पर हमला किया हो, जिसके कारण उन दोनों को चोटें आई हों। यह कहना गलत है कि उसने अपने पड़ोसियों पर झूठा आरोप लगाकर कोई मुकदमा लगाया हो। यह भी कहना गलत है कि आज वह न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा है।

इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में अभियुक्तगण के द्वारा मारापीट किए जाने को स्पष्ट रूप से इंकार किया है। यद्यपि इस साक्षी ने घटना वाले दिन उसे चोटें आना स्वीकार किया है, परंतु उक्त चोटें अभियुक्तगण के द्वारा मारापीट के कारण आई हो इससे इंकार किया है। उक्त साक्षी ने स्पष्ट कथन किया है कि घटना वाले दिन भीड़भाड़ होने के कारण वह रोड़ियों में गिर गया था जिससे उसे चोटें आ गयी थी।

22. अभियोजन द्वारा राहुल भदौरिया को पी डब्लू–2 के रूप में परीक्षित कराया है। इस साक्षी ने हुई मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है परन्तु उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि घटना दिनांक 22.05.2005 को वह अपने घर पर था। वह समय लगभग 8:30 से 9:00 बजे के बीच सोकर उठा था। अमूमन वह 8:30 – 9:00–10 बजे सोकर उठता है। घटना वाले दिन दिलीप उसे सुबह लगभग 10:00 बजे मिला था। जब वह सोकर अपने घर के बाहर आया, तब उसने चंदन की माँ राजकुमारी तथा पिता जगनारायण को देखा था। उस समय उसने चंदन को वहाँ नहीं देखा था। वह यह नहीं देख पाया कि किसके हाथ में क्या था। दिलीप व चंदन दोनों ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी। भीड़–भाड़ होने के कारण वह यह नहीं

देख पाया कि उसके सिर पर किसने मारा। चोट लगने के कारण वह बेहोश हो गया था। उसे कौन ले गया, पता नहीं। दारोगा जी ने जो बयान उसका लिया, कब लिया उसे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि वह आज न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा है।

इस प्रकार उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में मुख्य परीक्षा के विपरीत कथन किया है। उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा उसके साथ मारपीट नहीं की गयी। भीड़भाड़ में उसके किसने मारा उसे याद नहीं है। इस प्रकार उक्त साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ नहीं मिलता है।

23. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली पर चोटिल/साक्षी राहुल भदौरिया का चिकित्सीय परीक्षण प्रपत्र(प्रदर्श क–4) दाखिल है। पत्रावली के अवोलकन से विदित होता है कि वादी/साक्षी पी.डब्लू.–1 ने स्वीकार किया है कि यह बात सही है कि उसके पुत्र राहुल भदौरिया के सिर पर चोट छत से ईंट गिरने के कारण लगी थी तथा रेलिंगों पर गिरने के कारण उसके शरीर के अन्य स्थानों पर चोटें आई थीं। मजरूब राहुल भदौरिया द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि दिलीप व चंदन दोनों ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी। भीड़–भाड़ होने के कारण वह यह नहीं देख पाया कि उसके सिर पर किसने मारा।

24. इस प्रकार अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गये साक्षीगण प्रतिपरीक्षा की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। दोनों साक्षियों के द्वारा अभियक्त के द्वारा मारपीट कर गंभीर चोटें कारित करने व गालीगलौज करने के संबंध में समपोषक बयान नहीं दिया है। पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्यों का अवलोकन करने से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन अपने केस युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा कि अभियुक्त ने दिनांक–22.05.2005 को समय 08:30 बजे प्रातः बस्थान मकान नम्बर–223 ई ब्लाक पनकी पेश दरवाजा वादी अंतर्गत थाना पनकी में अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के पुत्र राहुल के साथ गालीगलौज करते हुए मारपीट की गयी तथा वादी व उसके पुत्र पर इस आशय व ज्ञान से हॉकी, सरिया व चाकू से हमला किया जिससे यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो अभियुक्त हत्या के दोषी हो। तदनुसार अवधार्य बिन्दु निस्तारित किया जाता है।

25. अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त दिलीप पर लगाये गये आरोपों अंतर्गत धारा–308, 323, 504 भा0 दं0 सं0 को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। तद्नुसार अभियुक्त बंटी चौधरी लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा– 308, 323, 504 भा0 दं0 सं0 से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश:-

26. अभियुक्त दिलीप को धारा धारा- 308, 323, 504 भा0 दं0 सं0, थाना- पनकी, कानपुर नगर के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

27. अभियुक्त जमानत पर है, उसके बंधपत्र व प्रतिभूपत्र निरस्त किये जाते हैं और प्रतिभूओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

28. अभियुक्त धारा-437 ए दं.प्र.सं. में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत बीस हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समतुल्य धनराशि की दो प्रतिभू अन्दर सप्ताह निष्पादित करें कि यदि किसी उच्चतर न्यायालय/अपीलीय न्यायालय में कोई अपील या याचिका संस्थित की जाती है, तथा उच्चतर न्यायालय/अपीलीय न्यायालय द्वारा उन्हें आहूत किया जाता है तो वह उपस्थित होगें। अभियुक्तगण द्वारा धारा-437 ए दं.प्र.सं. के अंतर्गत दाखिल बंधपत्र व प्रतिभू निर्णय दिनांक से छः माह तक प्रवृत्त रहेगें।

29. इस निर्णय की एक प्रति जिलाधिकारी, कानपुर नगर को प्रेषित की जाए।

30. पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

(**शुचि श्रीवास्तव**)
(ID-UP6109)
विशेष न्यायाधीश, (अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम),
कानपुर नगर।

दिनांक-11.06.2026

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनाँकित करके सुनाया गया।

(**शुचि श्रीवास्तव**)
(ID-UP6109)
विशेष न्यायाधीश, (अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम),
कानपुर नगर।

दिनांक- 11.06.2026

Digitally signed by Shuchi Srivastava
Date: 2026.06.25 13:22:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court